रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1538] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 14, 2019/वैशाख 24, 1941
No. 1538] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 14, 2019/VAISAKHA 24, 1941

IndiaCode

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2019

का.आ. 1730(अ).—लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (जिसे इसमें इसके पश्चात् एलटीटीई कहा गया है) श्रीलंका में आधारित एक संगम है किन्तु उसके समर्थक, सहानुभूति रखने वाले और अभिकर्ता भारत राज्यक्षेत्र में भी हैं;

और जबकि एलटीटीई का उद्देश्य सभी तमिलों के लिए पृथक् गृहभूमि (तमिल ईलम) भारत की प्रभुता और राज्य क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा है और संघ से भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग के अध्यर्पण और विलग हो जाने के समान है तथा इसलिए विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अंतर्गत आता है;

और जबकि एलटीटीई ने, श्रीलंका में मई, 2009 में अपनी सैन्य हार के पश्चात् भी 'ईलम' की संकल्पना का परित्याग नहीं किया है और 'ईलम' के लिए छिपे तौर पर निधियों को उगाहने और प्रचार क्रियाकलापों में लगा हुआ है और एलटीटीई के शेष नेताओं या काडरों ने छिन्न-भिन्न क्रियाकलापों को पुनः समूहबद्ध करने तथा इकाई का स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पुनर्जीवित करने के प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं;

और जबकि पृथकतावादी तमिल उग्र राष्ट्रवादी समूहों और एलटीटीई समर्थक समूह पृथकतावादी प्रवृत्ति को जनता के मध्य प्रोत्साहित करने में लगे हैं और भारत में और विशिष्टतया तमिलनाडु में, एलटीटीई के समर्थन आधार को बढ़ा रहे हैं, यह अंततोगत्वा भारत की प्रभुता और अखंडता पर प्रबल विघटनकारी प्रभाव डालेगा, अत: ऐसे सभी पृथकतावादी क्रियाकलापों को सभी संभव विधिपूर्ण साधनों द्वारा नियंत्रण करने की प्रबल आवश्यकता है;

और जबकि एलटीटीई, एलटीटीई समर्थक घटकों और उग्र राष्ट्रवादी समूहों के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन मामले भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अंतिम अधिसूचना सं. का.आ. 1272(अ), तारीख 14 मई, 2014 से अर्थात् मई, 2014 और मई, 2019 के मध्य विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 और भारतीय दंड संहिता, आदि के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामलों के अतिरिक्त रजिस्ट्रीकृत किया गया था;

और प्रवासी, एलटीटीई की हार के लिए भारत सरकार को उत्तरदायी मानते हुए श्रीलंका के तमिलों के मध्य भारत विरोधी भावनाओं को इंटरनेट पोर्टल पर लेखों के माध्यम से फैलाना जारी रखे हुए हैं और इस तरह इंटरनेट के माध्यम से ऐसे प्रचार से, भारत में अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

और जबकि उपरोक्त कारणों से केंद्रीय सरकार की यह राय है कि एलटीटीई एक विधिविरुद्ध संगम है और सभी संभव साधनों द्वारा ऐसे सभी पृथकतावादी क्रियाकलापों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है;

और जबकि केंद्रीय सरकार को यह जानकारी है कि —

(i) एलटीटीई के शेष काडर, सहानुभूति रखने वालों और समर्थकों के क्रियाकलापों से (जिनका हाल ही में तमिलनाडु राज्य में पता चला है) यह संकेत मिलता है कि उक्त काडर जो तमिलनाडु में भेजे गये हैं अंतिम रूप से एलटीटीई द्वारा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप के लिए उपयोग किये जाएंगें;

(ii) भारत सरकार की जानकारी में यह आया है कि प्रतिबंधों के प्रवर्तन में होने के बावजूद एलटीटीई समर्थक संगठन और व्यक्तियों के क्रियाकलाप एलटीटीई को उनका समर्थन देने में प्रयासरत हैं;

(iii) एलटीटीई के नेताओं और समर्थकों ने उनके संगठन में भारत की नीति और उनके क्रियाकलापों को नियंत्रित करने में राज्य तंत्र द्वारा की गई कार्रवाई का विद्वेषतापूर्वक विरोध किया है;

और जबकि केंद्रीय सरकार की यह राय है कि एलटीटीई के उपरोक्त क्रियाकलाप भारत की प्रभुता और राज्य क्षेत्रीय अखंडता के साथ ही साथ लोक शांति के लिए भी खतरा है और इसलिए इसे विधिविरुद्ध संगम घोषित किया जाना चाहिए;

और जबकि केंद्रीय सरकार की यह और राय है कि—

(i) क्योंकि एलटीटीई के हिसांत्मक और विघटनकारी क्रियाकलाप जारी हैं, जो कि भारत की प्रभुता और राज्य क्षेत्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं; और

(ii) एलटीटीई ने लगातार प्रबल भारत विरोधी रुख अंगीकृत किया है जो भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा भी प्रस्तुत करता है, इसलिए, एलटीटीई को तुरंत प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित करने की आवश्यकता है;

अत: अब केंद्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) और (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिबरेशन टाइगर्स और तमिल ईलम (एलटीटीई) को एक विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है और यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किए गए किसी आदेश के अधीन रहते हुए, यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ही प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 11034/4/2018-सीटी-II**]**

पीयूष गोयल**,** संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2019

S.O. 1730(E).—WHEREAS the Liberation Tigers of Tamil Eelam (hereinafter referred to as the LTTE), is an association based in Sri Lanka but having its supporters, sympathisers and agents in the territory of India;

AND WHEREAS the LTTE's objective for a separate homeland (Tamil Eelam) for all Tamils threatens the sovereignty and territorial integrity of India, and amounts to cession and secession of a part of the territory of India from the Union and thus falls within the ambit of unlawful activities;

AND WHEREAS the LTTE, even after its military defeat in May, 2009 in Sri Lanka, has not abandoned the concept of 'Eelam' and has been clandestinely working towards the 'Eelam' cause by undertaking fund raising and propaganda activities and the remnant LTTE leaders or cadres have also initiated efforts to regroup the scattered activists and resurrect the outfit locally and internationally;

AND WHEREAS the separatist Tamil chauvinist groups and pro-LTTE groups continue to foster a separatist tendency amongst the masses and enhance the support base for LTTE in India and particularly in Tamil Nadu,

it will ultimately have a strong disintegrating influence over the territorial integrity of India, hence, the strong need continues to exist to control all such separatist activities by all possible lawful means;

AND WHEREAS cases were registered under the Unlawful Activities (Prevention) Act 1967, against LTTE, pro-LTTE elements and chauvinist groups since the last notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs vide number S.O. 1272 (E), dated the 14th May, 2014 that is between May, 2014 and May, 2019 besides cases under the provisions of Explosive Substances Act 1908, Indian Penal Code, etc.;

AND WHEREAS the Diaspora continue to spread through articles in the Internet portals, anti-India feeling amongst the Sri Lankan Tamils by holding the Government of India responsible for the defeat of the LTTE and such propaganda through Internet, which remains continued, is likely to impact Very Very Important Persons (VVIP) security adversely in India;

AND WHEREAS for the reasons aforesaid, the Central Government is of the opinion that the LTTE is an unlawful association and there is a continuing strong need to control all such separatist activities by all possible means;

AND WHEREAS the Central Government has the information that –

(i) the activities of the LTTE remnant cadres, dropouts, sympathisers, supporters who have been traced out recently in the State of Tamil Nadu suggest that the cadres sent to Tamil Nadu would ultimately be utilised by the LTTE for unlawful activities;

(ii) the activities of pro-LTTE organisations and individuals have come to notice of the Government of India that despite the ban in force, attempts have been made by these forces to extend their support to the LTTE;

(iii) the LTTE leaders, operatives and supporters have been inimically opposed to India's policy on their organisation and action of the State machinery in curbing their activities;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that the aforesaid activities of the LTTE continue to pose a threat to, and are detrimental to, the sovereignty and territorial integrity of India as also to the public order and, therefore, it should be declared as an unlawful association;

AND WHEREAS the Central Government is further of the opinion that—(i) because of the LTTE's continued violent and disruptive activities which are prejudicial to the integrity and sovereignty of India; and (ii) the LTTE continues to adopt a strong anti-India posture as also continues to pose a grave threat to the security of Indian nationals, it is necessary to declare LTTE as an unlawful association with immediate effect;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Liberation Tigers of Tamil Eelam (the LTTE) as an unlawful association and directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect on and from the date of its publication in the Official Gazette.

[F.No.11034/4/2018-CT-II]

PIYUSH GOYAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.05.14 00:08:46 +05'30'